वकील प्रतिवादी श्री

(78) 12/12/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	05/8/25 वादी याचिका एवं दस्तावेज अधिवक्ता उपस्थित नहीं है एवं कई बार आवाजे दिलाई गई वादी याचिका की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। न्याय अदालत की स्थापित परंपरा क्रम में वादियागण की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वादीयागण का वाद खर्चे सहित खारिज किया जाता है तदनुसार वाद निरीत होकर फाइल बस्ते में जमा करने बाबत आदेश होवे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज.